

an>

Title:Need to take steps to ensure that the benefits of welfare schemes meant for BPL card holders reach the targeted persons.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति का येटी, कपड़ा और मकान मूलभूत अधिकार हैं। देश में गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब से यह सरकार आई है, तब से कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, वर्तमान सरकार की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी गरीबों का कैसे उत्थान हो, उसके लिए बहुत सारी योजनाओं को घरातल पर उतारने के लिए दिन-रात कार्य भी कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मंत्रीगण भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हम लोग गांवों-देहातों में जाते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि गरीबों के लिए जो भी योजनाएं आज संचालित हो रही हैं, गरीबों का जो मानक तय होता है, वह बीपीएल कार्ड के आधार पर तय होता है। बीपीएल कार्ड आज ऐसे लोगों के पास है जो गरीब नहीं हैं और उनको वह सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं लेकिन जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जिनको वास्तव में ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे बीपीएल कार्ड से मरदूम हैं। उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, उन सब योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले। उन गरीबों के अधिकार पर तैवनीकल रूप से कोई बीपीएल कार्ड बनवाकर उनके अधिकार पर डाका डालने का काम न करे। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर आप कोई एक मजबूत कमेटी बनवा दें जिससे हम लोग भी उसमें सहभागिता देकर इस दिशा में अध्ययन करें कि जो वास्तव में गरीब हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिले चाहे आवास की बात हो, चाहे जन-धन योजना की बात हो, चाहे आवास को लेकर जो उनको ख्यादान मिलता हो, उसकी बात हो, चाहे जो उनको पेंशन मिलती है, उसकी बात हो, यानी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ वास्तव में जो गरीब हैं, उनको ही मिले। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री गैरें प्रसाद मिश्र,

श्री निशिकांत दुबे,

श्री ददन मिश्र,

श्री कीर्ति वर्धन सिंह और

श्री पी.पी.चौधरी को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विचार के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।